कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13077/2020 सुरेश कुमार जांगिड़ बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री सुरेश कुमार जांगिड, प्रधानाचार्य सेठ बंशीधर राउमावि कोलाना जिला दौसा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री सुरेश कुमार जांगिड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के दिव्यांग होने एवं स्वयं के निम्न दृष्टि विकलांग (सूर्यमुखी) होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन जयपुर जिले में राउमावि जयसिंहपुरा, गोविन्दगढ, जयपुर/राउमावि भोपावास, गोविंदगढ, जयपुर/राउमावि कालख, सांभरलेक, जयपुर अथवा राउमावि रावपुरा, शाहपुरा जिला जयपुर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकाथी जयपुर के समीपस्थ दौसा जिले में ही पदस्थापित हैं। याचिकार्थी द्वारा अपने सूर्यमुखी होने के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। उक्त दिशा–निर्देशों में पूर्णतया दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण से सम्बन्धित कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश हैं। निम्न दृष्टि विकलांग (सूर्यमुखी) व्यक्तियों को अनुतोष प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

याचिकार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर पदस्थापित है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य हित/विद्यार्थी हित/प्रशासनिक आवश्यकता अथवा विभागीय प्राथमिकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित/स्थानान्तरित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालय में भी प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है, फलस्वरूप श्री सुरेश कुमार जांगिड़ सेठ बंशीधर राउमावि कोलाना जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/सुरेश कुमार/13077/2020 दिनांकः 15/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री सुरेश कुमार जांगिड, प्रधानाचार्य सेठ बंशीधर राउमावि कोलाना जिला दौसा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)